रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218885
CG-DL-E-24032020-218885

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2020/चैत्र 4, 1942
No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2020/CHAITRA 4, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2020

सं. 16 /2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 213(अ).—केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2003 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, सा.का.नि. सं. 274 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में के परंतुक में, आंकड़ों, अक्षरों और शब्दों "1 अप्रैल, 2020" की जगह आंकड़े, अक्षर और शब्द "1 अप्रैल, 2021" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[फा. सं. डीजीईपी/एसईजेड/09/2017(पार्ट-2)]
गौरव सिंह, उप सचिव

टिप्पणी:- दिनांक 31 मार्च, 2003 की प्रधान अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 31 मार्च, 2003 की सा.का.नि. सं. 274 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 25 मार्च, 2019 की सा.का.नि. सं. 238(अ), के अंतर्गत अधिसूचना सं. 09/2019-सीमा शुल्क दिनांक 25 मार्च, 2019 के द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2020

No. 16 /2020-Customs

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, in the proviso, for the figures, letters and words "1st day of April, 2020", the figures, letters and words "1st day of April, 2021" shall be substituted.

[F.No. DGEP/SEZ/09/2017(Pt-2)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note:-The principal notification No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003 and was last amended by notification No. 09/2019-Customs, dated the 25th March, 2019, published vide number G.S.R. 238(E), dated the 25th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.24 18:06:58 +05'30'